

प्रेस नोट दिनांक-08.10.2019

- (1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मे वाँछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 185/19 धारा 302/201 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त 1. छोटू रैदास पुत्र राम आसरे उर्फ लबेदहा 2. राजा पटेल पुत्र बम्बा उर्फ ननका सिंह 3. बल्लू चमार पुत्र हरीराम वर्मा उर्फ बरगढ़ चमार निवासीगण छिवलहा थाना मऊ चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.10.2019 की रात्रि लगभग 9.00 बजे ग्राम छिवलहा में भगवानदीन रैदास की सिर में बोल्टर पत्थर मारकर हत्या कर छिवलहा गांव स्थित चैकडैम में फेंक दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 185/19 धारा 302/201 भादवि0 बनाम छोटू रैदास पुत्र राम आसरे उर्फ लबेदहा निवासी छिवलहा थाना मऊ तथा 1,2 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ द्वारा की जा रही थी । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षक किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक मऊ को घटना का शीघ्र खुलाशा एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा विवेचना से अभियुक्त राजा पटेल पुत्र बम्बा उर्फ ननका सिंह व बल्लू चमार पुत्र हरीराम वर्मा उर्फ बरगढ़ चमार निवासीगण छिवलहा थाना मऊ चित्रकूट प्रकाश में आये, जिन्हे कल दिनांक 07.10.2019 को प्रभारी निरीक्षक मऊ तथा उनकी टीम द्वारा कड़ी मेहनत कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की । गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों से हत्या का कारण पूँछा गया तो बल्लू ने बताया कि मृतक भगवानदीन की मेरी भाभी पर काफी दिनों से नियत खराब थी जो उससे अवैध सम्बन्ध बनाना चाहता था, जिससे क्षुब्ध होकर बल्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी । अभियुक्त राजा पटेल उपरोक्त के प्रकाश में आ जाने से विवेचना में धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोतरी की गयी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ
2. वरि0उ0नि0 श्री विवेक प्रताप सिंह
3. उ0नि0 श्री राधाकृष्ण तिवारी
4. का0 अनुज वर्मा
5. का0 अंकित सचान

- (2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मे वाँछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गुलाब चन्द्र मौर्य तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं 397/14 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त पवन कुमार पुत्र सियाराम निवासी ग्राम निबी थाना मऊ चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री गुलाब चन्द्र मौर्य थाना मऊ
2. का0 जितेन्द्र कुमार
3. का0 अनुज वर्मा
4. म0का0 सीमा यादव